जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 9102 / 2025 दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

अति आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

01 निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02 प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्र / छात्राओं के लिये उ0प्र0 शासन द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल को पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया पार्श्व में संलग्न अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के **पत्र संख्या– 175 / 2025 / 3064 / 26–3–2025–1961934, दिनांकः 18 नवम्बर, 2025 (संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष **2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्र / छात्राओं के लिये उ0प्र0 शासन द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल को पुनः खोले जाने हेतु समय–सारणी निर्गत की गई है।**

तत्क्रम में समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि यथानिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित यथानिर्दिष्ट आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे वंचित छात्र / छात्रओं को शासन द्वारा निर्गत छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नकः यथोक्त।

(डॉ0 छबिलाल)
नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति पोर्टल

(एस0 एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. माननीय कुलपति जी।
02. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
03. अधिष्ठाता छात्र कल्याण संकाय, विश्वविद्यालय परिसर।
04. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
05. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

संख्या-175/2025/3064/26-3-2025-1961934

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 18 नवम्बर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2951/स0क0/शिक्षा-अ/9/2025-26 दिनांक 12.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पूर्व में निर्गत समय-सारिणी को यथावत रखते हुए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत् वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पूर्व में निर्गत समय-सारिणी के क्रम में निम्नानुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	वर्तमान समयावधि	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही		
1	**संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना (कक्षा 11-12 को छोड़कर)** मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी / विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित / अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक	20 नवम्बर, 2025 से 26 नवम्बर, 2025 तक
2	**विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय /एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को	18 अक्टूबर, 2025 तक	01 दिसम्बर, 2025 तक

	डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।		
3	**जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	26 अक्टूबर, 2025 तक	04 दिसम्बर, 2025 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
4	**छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन आवेदन**	27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025	20 नवम्बर, 2025 से 26 नवम्बर, 2025 तक
5	**छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सब्मिशन किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक	28 नवम्बर, 2025 तक
6	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक	29 नवम्बर, 2025 तक
7	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना ।	02 नवम्बर, 2025 तक	03 दिसम्बर, 2025 तक
8	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना ।	03 नवम्बर, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक	04 दिसम्बर, 2025 से 09 दिसम्बर, 2025
9	**एन०आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना ।	03 नवम्बर, 2025 से 07 नवम्बर, 2025 तक	04 दिसम्बर, 2025 से 10 दिसम्बर, 2025 तक

10	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र / छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	08 नवम्बर, 2025 से 11 नवम्बर, 2025 तक	11 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर, 2025 तक
11	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना ।	12 नवम्बर, 2025 तक	16 दिसम्बर, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक
12	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना ।	13 नवम्बर, 2025 से 18 नवम्बर, 2025 तक	22 दिसम्बर, 2025 से 29 दिसम्बर, 2025 तक
13	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना ।	08 नवम्बर, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक	16 दिसम्बर, 2025 से 05 जनवरी, 2026
14	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	27 नवम्बर, 2025	08 जनवरी, 2026
15	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड / NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही ।	28 नवम्बर, 2025	12 जनवरी, 2026

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त हेतु पूर्व में निर्गत समय-सारिणी के क्रम में उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गो के छात्र/छात्राओं को पोर्टल खोलते हुए समयान्तर्गत छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 18-11-2025
14:45:08

भवदीय,
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

<u>पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11. गार्ड फाईल।

Digitally signed by RAJANI KANT PANDEY
Date: 18-11-2025 18:03:30

आज्ञा से,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।